

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

₹. 100

ONE HUNDRED RUPEES



भारत INDIA INDIA NON JUDICIAL



UTTAR PRADESH

(प्रमाण - "अ")

GL 115852

सत्र 2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाओं की सोसाइटी / ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले मोटरी शपथ का प्रारूप

मैं..... सुखदेव शर्मा (नाम अध्यक्ष) एवं सचिन शर्मा (नाम सचिव)

कमरा: अध्यक्ष एवं सचिव सोसाइटी / ट्रस्ट का नाम एवं पता

केन्द्रित रूप से उक्त शपथ निम्नवत वाक्य करते हैं

1. यह कि हमारी सोसाइटी / ट्रस्ट द्वारा सहायक ज्येष्ठ डॉक्टर आर्य समाज (संस्था का नाम एवं पता)

डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 में किया जाना प्रस्तावित है।

2. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम सचिन शर्मा (पता जहाँ पर भूमि स्थित है) 109/118 (पता जहाँ पर भूमि स्थित है)

एवं 1.52 हेक्टेयर (कुल रकबा 5.852 हेक्टेयर) भूमि है।

3. यह कि उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी चार्ज किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।

4. यह कि, उक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपरोक्त भूमि के गाटा संख्या 119 एवं 118 रकबा कमरा एवं हेक्टेयर (कुल रकबा 1.352 हेक्टेयर) पर उक्त

भूमि की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 06/06/23 द्वारा पारित किया गया है।

यह कि, उक्त भूमि पर ही उपरोक्त डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित करने के अनुमत किया गया है।



6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जाएगा।
8. यह कि, इस संस्था में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रविष्टान प्रदान किया जाएगा।
9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद / विद्यापीठ/विद्यालय द्वारा अनुमोदित / सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान / विद्यालय / महाविद्यालय / आई०टी०आई० आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जाएगा।
10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक कक्षा कम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जाएगा।
11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैयारी सोसाइटी / ट्रस्ट द्वारा सब प्रांभ के पूर्व कर लिया जाएगा।
12. यह कि, शासन / परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों / आदेशों का भलीभांति पालन करेगा। यदि भूरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु भूरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि भूरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख / दस्तावेज फर्जी, कूटनिष्ठ अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो भूरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

Signature
ह० सचिव

Notarized & Signed by me
in the presence of
Identified by *Sachin Sharma*
Who has been heard the contents
and admitted the contents to be
Correct before me. No. *2220*

Signature
ह० अध्यक्ष

M
29.02.23
Paghukul, Son
Advocate NOTARY
Tehsil KHAR, Dist. Son

